7/5/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित जिनकी प्रार्थना पत्र O.7 R.11 व धारा 151 CPC पर सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रति०सं० 1व2) ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है क्योंकि वाद वर्णित आराजीयात कृषि भूमि नहीं होकर औद्योगिक भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थीगण (वादीगण) ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादीगण के द्वारा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वाद में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि होने से इसको सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से यह प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।
	हमने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम बागोट II में दर्ज आ०न० 9167/6186 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म गैमु० औद्योगिक बारानी III हीरालाल पिता गंगाराम जाट के नामपर दर्ज है। जिसकी पुष्टि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/08/5 दिनांक 24/5/2008 से ग्राम बागोर की आ०न० 6186/7341/1 रकबा 3.00 बीघा में से 2.00 बीघा याने 5058 व०मी० भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (काजवा ईट उद्योग) में संपरिवर्तन किया। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नवीन आ०न० 9167/6186 दर्ज हुए जो हीरालाल पिता गंगाराम जाट के नाम पर जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 में अंकित है इस प्रकार वादीगण के द्वारा कृषि भूमि में खातेदारी का वाद पेश नहीं [illegible] खातेदारी चाही है जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 0.7 R.11 व धारा 151 CPC स्वीकार करते हुए वाद खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दि० 7/5/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:30 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी

नम्बर व
अहकाम
पत्र पते
में जा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

पईजलास श्री मनोज (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री शंकर s/o श्री बालु कुम्हार (2) श्री सत्यनारायण s/o श्री बालु कुम्हार (3) श्री रामचन्द्र s/o श्री बालु कुम्हार (4) श्री लेहरु s/o श्री बालु कुम्हार (5) श्री मिठुलाल s/o श्री बालु कुम्हार (6) श्री ओमप्रकाश s/o श्री बालु कुम्हार सर्व निवासियान-पुरोहित खेड़ा तहसील - माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

1. श्री बालु s/o श्री हीरा कुम्हार निवासी- पुरोहित खेड़ा तहसील - माण्डल
2. श्री हीरालाल s/o श्री गंगाराम जाट निवासी- पुरोहित खेड़ा तहसील - माण्डल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क), 188 मुकदमा नं0 / वर्ष 57/19 निर्णय दिनांक 07-05-24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कताई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री अब्दुल रशीद पठान Adv. मनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किये जाने से वादीगण का वादपत्र खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:30 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 07-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला - भीलवाड़ा